<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/टी0ए0/6096/2006/जालोर</u>

1. भागीरथ पुत्र भीम सिंह जाति जाट निवासी लोरडी देजगरा तहसील जोधपुर हाल निवासी जालौर।
2. प्रेम सिंह पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर निवासी जालौर।
3. जोराराम पुत्र पूरारामजी जाति जाट निवासी फलासिया तहसील एवं जिला जोधपुर।
4. मगाराम पुत्र डूंगरराम जी जाति जाट निवासी मंडावला तहसील गुडामलानी बाडमेर
5. प्रेमाराम पुत्र श्री नन्दाराम जाति गुर्जर निवासी जालोर।

अपीलांट....

बनाम

1. मुतवफी हबीब खां पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान निवासी जालौर के प्रतिनिधगणः–

   1/1– मुसम्मात सलीमबानु बेवा हबीब खांजी जाति मुसलमान

   1/2– हनीफ पुत्र हबीब खां जाति मुसलमान कायम मुकाम–

   1/1/1– परवीना बानो पत्नी हनीफ खां

   1/1/2– सोहेल खां पुत्र हनीफ खां

   1/1/3– अलवीरा पुत्र हनीफ खां

   1/3– आरीफ पुत्र हबीब खांजी जाति मुसलमान

   हनीफ एवं आरीफ नाबालिग जरिये कुदरतीवलीया माता मुसम्मात सलीमबानु।

2. अशरफ खां पुत्र यासीन खांजी जाति मुसलमान
3. भूरे खां पुत्र यासीन खांजी जाति मुसलमान

   3/1– जैतुल बानो पत्नी भूरे खां

   3/2– मुबारक खां पुत्र भूरे खां

   3/3– फिरोज खां पुत्र भूरे खां निवासी जालोर

   3/4– अफसाना बानु पुत्री भूरे खां पत्नी अख्तर खां काजी निवासी उपरकोटा मस्जिद के पास जालोर।

   3/5– अफरोजा बानो पुत्री भूरे खां पत्नी स्व0 सद्दीक अली सेयद निवासी उपरकोटा सयदों का बास जालोर।

4. मुस्ताक खां पुत्र यासीन खांजी जाति मुसलमान

   4/1– परवीना बानो पत्नी मुस्ताक खां

4/2– जावेद खां पुत्र मुस्ताक खां

4/3– सलमा बानो पुत्री मुस्ताक खां पत्नी रमजान खां जाति मुसलमान निवासी पादरू का बास भंवरू खां आर आई का मकान सिवाना बाड़मेर।

4/4– नसीम बानो पुत्री मुस्ताक खां पत्नी आरीफ खां काजी नैनेखां शहिदों की मस्जिद के पास उपरकोटा जालोर।

4/5– फराह पुत्री मुस्ताक खां पत्नी फिरोज खां निवासी शहिदो का मोहल्ला खोखरों का मकान जालोर।

4/6– माईन खां पुत्र मुस्ताक खां निवासी उपरकोटा खोखरों का मोहल्ला जालोर।

4/7– संजु पुत्री मुस्ताक खांपत्नी आरिफ खां पटान सिपाहियों का मोहल्ला सिवाना बाड़मेर।

4/8– रिजवान पुत्री मुस्ताक खां पत्नी मुस्ताक खां उपरकोटा खोखरों का बास जालोर।

5.राजू खां उर्फ रेहमत खां पुत्र यासीन खांजी जाति मुसलमान तमाम निवासीगण जालौर तहसील एवं जिला जालौर।

रेस्पो0.....

6. मुतवफी लालखां पुत्र अहमद खां के कायम मुकामः–

6/1– मु0खातून बानु बेवा लाल खांजी, जाति मुसलमान

6/2– आबीद खांपुत्र लाल खांजी जाति मुसलमान

6/3– इकबाल खां पुत्र लाल खांजी जाति मुसलमान

6/4– अकरम खां पुत्र लाल खांजी जाति मुसलमान

6/5– मु0 राबिया पुत्री लाल खांजी जाति मुसलमान

6/6– मू0 नूरजहांबानु पुत्री लाल खांजी जाति मुसलमान

6/7– मु0 शमीम बानु पुत्री लाल खांजी जाति मुसलमान निवासी जालौर तहसील एवं जिला जालौर।

7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालौर।

तरतीबी रेस्पो0.....

खण्डपीठ

श्री आर0डी0मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अपीलांट

श्री रूघाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट

श्री ओ0एल0 दवे, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः–16.07.2025

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली दिनांक 31–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादीगण के द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जालौर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि जालोर–ए के तहत खसरा नंबर 1515 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा प्रथम बंदोबस्त के समय था। द्वितीय बंदोबस्त में इस भूमि का खसरा नंबर 1997 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा हो गया। तत्पश्चात तृतीय बंदोबस्त के दौरान इस भूमि के दो खसरा नंबर बनाये गये क्रमशः 2543 एवं 2544 एवं रकबा पुनः 30 बीघा 03 बिस्वा दर्ज किया गया। विवादित आराजी अहमद खां की थी जिसके दो लड़के यासीन खां एवं लाल खां हुये। अहमद खां ने जुबानी बख्शीश द्वारा इस भूमि को यासीन खां के हक में कर दिया। जिससे इस भूमि पर मालिकाना हक यासीन खां का हो गया एवं कब्जा काश्त भी इन्हीं का था। लाल खां ने दिनांक 28–11–1974 को जरिये इकरारनामा यह स्वीकार किया कि विवादित आराजी यासीन खां को जुबानी बख्शीश से दे दी गयी। उनका इस जमीन पर कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। अहमद खां की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी का नामांतरकरण दोनों भाईयों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लाल खां ने राजस्व रिकॉर्ड का लाभ उठाते हुये विवादित आराजी को अपीलांट संख्या– 2 प्रेम सिंह को बेचान कर दी। बेचान के आधार पर प्रेम सिंह ने अपने नाम नामांतरकरण स्वीकृत करवा लिया। परंतु प्रेम सिंह का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रेम सिंह ने आगे विवादित आराजी का बेचान अपीलांट/प्रतिवादी संख्या– 1,3,4 एवं 5 को कर दिया। उक्त बेचाननामा का नामांतरकरण संभागीय आयुक्त ,जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसलिय अपीलांट/प्रतिवादी संख्या– 1,3,4 एवं 5 को किया गया बेचान अवैध है क्योंकि विवादित आराजी का बंटवारा किये बिना ही भूमि का विशेष हिस्सा बेचाननामें में अंकित कर दिया। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या– 1,3,4 एवं 5 ने अवैध बेचाननामे के आधार पर रेस्पो0/वादी के कब्जे में दखलअंदाजी कर रहे है। अतः रेस्पो0/वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा

प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा, जवाबदावा एवं साक्ष्य के आधार पर दस तनकीयात विरचित करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–03–2002 द्वारा रेस्पो/वादीगण का वाद खारिज कर दिया। वादीगण/रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2002 के विरूद्ध एक अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–05–2006 से अपील को स्वीकार करते हुये रेस्पो0/वादीगण खातेदार घोषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील पर सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि रेस्पो0/वादीगण की ओर से अहमद खां द्वारा यासीन खां के पक्ष में किया गया बख्शीशनामा प्रस्तुत नहीं किया एवं उसकी तरफ से बख्शीशनामा करते समय उपस्थित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज नहीं करवाये। इससे स्पष्ट होता है कि अहमद खां द्वारा किसी प्रकार का बख्शीशनामा नहीं किया गया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी प्रकार से संपत्ति की मौखिक गिफ्ट, बख्शीश की जाती है तो उसमें तीन बिन्दू होना अनिवार्य है। जिसमें बख्शीश करना, बख्शीश स्वीकार करना तथा बख्शीश की गयी संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण होना अनिवार्य है। उक्त तीनों बिन्दुओं की पालना इसमें नहीं की गयी। इस आधार पर बख्शीशनामा अपूर्ण एवं प्रभावहीन है। उक्त जुबानी बख्शीशनामें के आधार पर यासीन खां के उत्तराधिकारों को किसी प्रकार के हक एवं अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। परंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त बख्शीशनामें को साबित मानकर खातेदारी प्रदान की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि लाल खां द्वारा निष्पादित इकरारनामे का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि इकरारनामे में अहमद खां द्वारा किये गये बख्शीश की तारीख, स्थान तथा किसके रूबरू बख्शीश की गयी, कोई उल्लेख नहीं है। इकरारनामें में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि किन रिश्तेदारों की उपस्थिति में बख्शीश की गयी है। परंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को साबित मानते हुये अपना निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वर्ष 1995 तक विवादित आराजी बाबत कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। लाल खां का देहान्त

दिनांक 18–12–1990 को हुआ था। लाल खां ने अपने जीवनकाल में प्रेम सिंह के पक्ष में दिनांक 24–5–1989 को बेचान दस्तावेज निष्पादित किया जिसकी जानकारी रेस्पो0/वादीगण को थी। लेकिन रेस्पो0/वादीगण ने बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय में नहीं की। जब तक बेचान दस्तावेज प्रभाव में है राजस्व न्यायालय को बेचान के विपरीत किसी प्रकार का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। परंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि लालखां पुत्र अहमद खां निवासी जालौर द्वारा लिखा गया इकरारनामा दिनांक 28–11–1974 पर्जीकृत नहीं है तथा अपंजीकृत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहय नहीं किया जा सकता परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपंजीकृत इकरारनामे को आधार मानते हुये अपना निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु निवेदन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि जालोर–ए के तहत खसरा नंबर 1515 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा प्रथम बंदोबस्त के समय था। द्वितीय बंदोबस्त में इस भूमि का खसरा नंबर 1997 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा हो गया। तत्पश्चात तृतीय बंदोबस्त के दौरान इस भूमि के दो खसरा नंबर बनाये गये क्रमशः 2543 एवं 2544 एवं रकबा पुनः 30 बीघा 03 बिस्वा दर्ज किया गया। विवादित आराजी अहमद खां की थी जिसके दो लड़के यासीन खां एवं लाल खां हुये। अहमद खां ने जुबानी बख्शीश द्वारा इस भूमि को यासीन खां के हक में कर दिया। जिससे इस भूमि पर मालिकाना हक यासीन खां का हो गया एवं कब्जा काश्त भी इन्हीं का था। लाल खां ने दिनांक 28–11–1974 को जरिये इकरारनामा यह स्वीकार किया कि विवादित आराजी यासीन खां को जुबानी बख्शीश से दे दी गयी। उनका इस जमीन पर कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। अहमद खां की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी दोनों भाईयों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। लाल खां ने राजस्व रिकॉर्ड का लाभ उठाते हुये विवादित आराजी को अपीलांट संख्या– 2 प्रेम सिंह को बेचान कर दी। बेचान के आधार पर प्रेम सिंह ने अपने नाम इंतकाल स्वीकृत करवा लिया। परंतु प्रेम सिंह का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रेम सिंह ने आगे विवादित आराजी का बेचान अपीलांट/प्रतिवादी संख्या– 1,3,4 एवं 5 को कर दिया। उक्त बेचाननामा का नामांतरकरण संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अपीलांट/प्रतिवादी

संख्या– 1,3,4 एवं 5 को किया गया बेचान अवैध है क्योंकि विवादित आराजी का बंटवारा किये बिना ही भूमि का विशेष हिस्सा बेचाननामें में अंकित कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने लाल खां द्वारा लिखा गया इकरारनामा को प्रभाव शून्य मानकर निर्णय किया है। जबकि लाल खां इस इकरारनामें से एस्टोप्ड है। किसी अन्य के पक्ष में लाल खां द्वारा किया गया बेचान अवैध है। जुबानी बख्शीश यासीन खां के पक्ष में बहुत लंबे समय से पहले हो चुकी थी। लाल खां द्वारा किया गया बेचान बिना कब्जे का था। ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 44 के अनुसार बिना विभाजन के भूमि के किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान नहीं किया जा सकता। लालखां को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था व लाल खां के पश्चात प्रेम सिंह एवं उसके पश्चात अन्य खरीददारान को किया गया बेचान अवैध व प्रभाव शुन्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपना निर्णय पारित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान अभिभाषक बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया ।

7. पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि इस प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि अहमद खां द्वारा मौखिक बख्शीश जो यासीन खां के पक्ष में की गयी एवं लाल खां द्वारा किया गया इकरारनामा दिनांक 28.11.1974 विधिक प्रावधानों के अनुसरण में मान्य है अथवा नहीं? इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 कायम करते हुए लाल खां द्वारा लिखित इकरारनामा के संबंध में मत व्यक्त किया है कि इकरारनामा दिनांक 28–11–1974 में लालखां पुत्र अहमद खां निवासी जालौर ने लिखा है कि मौजा जालौर के खसरा नंबर 1997 जिसके पुराने खसरा नंबर 1515 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि उसके पिता अहमद खां ने ईसे खां उर्फ यासीन खां को मौखिक बख्शीश कर दी थी। जबकि उक्त बख्शीशनामा ना तो गवाहान द्वारा प्रमाणित करवाया गया ना ही उक्त बख्शीशनामें का कोई विवरण प्रस्तुत किया कि उक्त बख्शीशनामा कब एवं किस तिथि को किया गया था। विवादित आराजी पूर्व से अहमद खां के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अहमद खां के फौत होने पर उसके दो पुत्र

यासीन खां एवं लाल खां के नाम नामांतरकरण दर्ज हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि इकरारनामा होते ही विवादित आराजी देने एवं लेने के समय नामांतरकरण भरने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जो उनके द्वारा किया जाना नहीं पाया जाता है। मुस्लिम विधि के अनुसार किसी प्रकार की संपत्ति मौखिक रूप से बख्शीश एवं गिफ्ट की जा सकती है इसमें तीन बिन्दुओं का होना अनिवार्य है जैसे बख्शीश करने वाले की तरफ से बख्शीश करने के अधिकारिता/मालिकाना हक, बख्शीश लेने वाले के द्वारा मौखिक बख्शीश के माध्यम से आराजीयात को लेना स्वीकार करना एवं बख्शीश की गयी संपत्ति का हस्तांतरण उपरांत कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिन्दु की पालना नहीं होने पर की गयी मौखिक बख्शीश अवैधानिक, अपूर्ण एवं प्रभावहीन मानी जायेगी। प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दुओं की पालना की गयी है अथवा नहीं? प्रकरण में अहमद खां द्वारा यासीन खां के पक्ष में कब किसकी मौजुदगी में मौखिक बख्शीश की गयी। इस संदर्भ में कोई गवाह आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त मौखिक बख्शीश की गयी थी। यदि लाल खां द्वारा किया गया इकरारनामा दिनांक 28-11-1974 को मान भी लिया जावे तो उसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इकरारनामा कौनसी तारीख को किया गया, किस स्थान पर तथा किनके समक्ष यह इकरारनामा किया गया है। इस प्रकार इकरानामा का अध्ययन करने पर भी मूस्लिम विधि के अनुसार उक्त भूमि की मौखिक बख्शीश में आवश्यक बिन्दुओं का होना नहीं पाया जाता है।

इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 बाबत उल्लेख किया है कि प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज इकरारनामा प्रदर्श-1 है, जिसको लाल खां ने जरिये इकरारनाम दिनांक 28.11.74 लिखते हुये स्वीकार किया कि अहमद खां द्वारा मौखिक बक्शीश यासीनखां के पक्ष में की है। इस बख्शीश से लाल खां को कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड में लाल खां का नाम आने के कारण यह इकरारनाम लाल खां ने यासीन खां के पक्ष में लिख कर दिया तथा विवादित आराजी पर अपना हक व हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया है। इसे साबित करवाने के लिए गवाह ईश्वरदान पी0डब्ल्यू.2 के रूप में साक्ष्य भी पेश हुआ। गवाहान की साक्ष्य से प्रदर्श-1 भलीभांति प्रमाणित होता है। प्रदर्श-1 इकरारनाम प्रमाणित होने के पश्चात लालखां को विवादित आराजी में से 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि बेचने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद भी लालखां द्वारा उक्त भूमि का बेचान प्रेम सिंह के पक्ष कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में परस्पर भिन्न-भिन्न निर्णय पारित किये है। परन्तु प्रकरण में मुख्य विवाद मौखिक

बख्शीश के माध्यम से बख्शीशकर्ता को विवादित आराजीयात की बख्शीश की अधिकारिता प्राप्त थी अथवा नहीं? बख्शीश प्राप्तकर्ता द्वारा तत्समय स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी थी अथवा नहीं? इसी प्रकार उक्त बख्शीाश को गवाहान द्वारा तत्समय प्रामाणित किया गया था अथवा नही? आदि बिन्दुओं का विवेचन व विश्लेषण एवं इकरारनामा की वैधानिकता/ प्रमाणिकता के संबंध में किसी भी न्यायालय ने अपना स्पष्ट मत कायम की गयी तनकीयात के माध्यम से व्यक्त नहीं किया गया है। जबकि विवादित आराजी बाबत पक्षकारों के अधिकारों के निर्धारण से पूर्व उपरोक्त समस्त विधिक बिन्दुओं का विधि के परिपेक्ष्य में मत व्यक्त किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में उपरोक्त विधिक दृष्टिकोण का अभाव पाये जाने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पुष्ट योग्य नहीं पाये जाते है। लिहाजा हमारी सुविचारित राय में प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, जालोर का इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित जाता है कि वे प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों व गवाहान की मौखिक व लिखित साक्ष्य तथा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत मौखिक बख्शीशनामे व इकरारानामे 28.11.1974 की प्रमाणिकता पर अपना स्पष्ट मत व्यक्त करे।

8. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-05-2006 एवं सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 अपास्त किये जाते है। प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, जालोर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वह पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचनुनसार पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी.मीणा)
सदस्य